विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1493 [21/3/2025]

परिशिष्ट अ

प्रपत्र-1

प्रश्न सं. [क. 1493]

मनोज पुष्प
आई.ए.एस.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
छिन्दवाड़ा, (म.प्र.)

कार्यालय - (07162) 242302
निवास - (07162) 242303
फैक्स (07162) 244467
email : dmchhind@nic@mp.gov.in

अर्द्ध शास0 पत्र क्रमांक /1/2/2023/
छिंदवाड़ा दिनांक 02/01/2024

विषय :- छिंदवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध के पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन के संबंध में।

------0000------

आदरणीय सर,

विषयांतर्गत छिंदवाड़ा जिले के संगम-2 बांध निर्माण में प्रभावित हो रहे परिवारों के पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा द्वारा लगभग 100 हेक्टेयर भूमि उमरेठ तहसील के ग्राम डोंगरी एवं अपतरा में चिन्हांकित की गई है। विस्थापित परिवारों को एक साथ बसाहट एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने उक्त भूमि का चयन किया गया है।

वर्तमान चिन्हित भूमि ग्राम डोंगरी प.ह.नं. 34 तहसील उमरेठ की 77.981 हे. भूमि में से राजस्व प्रकरण क्र. 92/अ-19(3)/2019-20 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा 47.980 हेक्टेयर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की गई है जिस पर आज दिनांक तक उद्योग विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। भूमि वर्तमान में रिक्त है, रिक्त भूमि होने के कारण उक्त भूमि का पुर्नवास हेतु आवंटन किया जाना उचित है।

अतः परियोजना की महत्ता को देखते हुए प्रमुख सचिव महोदय जल संसाधन विभाग को आवंटित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अनुरोध है।

सादर

(श्री संजय कुमार शुक्ला)
प्रमुख सचिव,
औद्योगिक नीति एवं निवेश
प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय
भोपाल

भवदीय
(मनोज पुष्प)

उप सचिव
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1493 प्रपत्र-2
परिशिष्ट-"ब"
(123)

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक843/PI/2/0045/2024/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 22/5/2024

प्रति,

कलेक्टर
जिला-छिंदवाडा (म.प्र.)

विषय:-छिंदवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध के पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन के संबंध में।

संदर्भ:-आपका प्रत्र क्रमांक /42/2024 छिंदवाडा दिनांक 02.01.2024

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के आधिपत्य की ग्राम-डोमरी, तहसील-उमरेठ, जिला-छिंदवाडा की कुल 11 खसरों की 47.980 हेक्टेयर अविकसित शासकीय भूमि जो कि वर्तमान में रिक्त है, उक्त भूमि छिंदवाडा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के ग्रामवासियों के पुर्नवास हेतु एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की अनुशंसा एवं आपके प्रस्ताव अनुसार राजस्व विभाग को समर्पित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक 843/PI/2/0045/2024/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 22/5/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि. भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव 22/5/24
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

उप सचिव
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रपत्र-3

M P INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED.
(Formerly M. P. AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (J) LTD, JABALPUR)
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
REGIONAL OFFICE
"UDYOG BHAWAN", Katanga, Jabalpur (M.P.) - 482 001
Phone : 0761-4004207, 2970199
E-mail : ed.rojbp@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in
PAN - AACCM6080D, GSTIN - 23AACCM6080D1ZU

क्र.एमपीआईडीसी/लि/क्षे.का.ज/भूप्रक./2024/ 4484-92 जबलपुर, दिनांक 17.12.2024

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- ग्राम डोमरी तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा की कुल रकबा 47.980 हेक्टेयर शासकीय अविकसित का आधिपत्य/कब्जा सौंपने विषयक।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पृष्ठांकन पत्र क्र. 843/आईपीआई/2/0045/2024/ए-ग्यारह, भोपाल, दिनांक 22.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत् मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम डोमरी, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा के खसरा क्रमांक 232, 233/1, 233/2, 253, 254, 255, 259, 260, 263, 264, 266 कुल रकबा 47.980 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरित होकर विभाग की अधीनस्थ संस्था "एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर" के आधिपत्य में है।

उक्त भूमि कलेक्टर महोदय जिला छिंदवाड़ा के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उक्त भूमि संदर्भित पत्र के माध्यम से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत् संगम-2 बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के ग्रामवासियों के पुनर्वास हेतु राजस्व विभाग, छिंदवाड़ा को समर्पित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त समर्पित भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी को नियुक्त किए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1698, दिनांक 03-07-2024 द्वारा कलेक्टर महोदय जिला छिंदवाड़ा से अनुरोध किया गया था किन्तु तदविषयक की जानकारी इस कार्यालय को अप्राप्त है।

चूँकि प्रकरण सीएम मॉनिट में है अतः मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में ग्राम डोमरी तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा की खसरा क्रमांक 232, 233/1, 233/2, 253, 254, 255, 259, 260, 263, 264, 266 कुल रकबा 47.980 हेक्टेयर शासकीय भूमि का एकतरफा आधिपत्य एतद द्वारा आपको सौंपा जाता है।

कार्यकारी संचालक

जबलपुर, दिनांक .12.2024

पृ.क्र. एमपीआईडीसी/लि/क्षे.का.ज/भूप्रक./2024/

प्रतिलिपि:-

(1) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) प्रबंध संचालक (भूमि प्रबंधन कक्ष), एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमि., 21, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011 की ओर पत्र क्रमांक 113/एमपीआईडीसी/भू.प्र.क./2024/5907, दिनांक 28.05.2024 के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ।

(3) स्टेनो-टू-कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा की ओर इस कार्यालय के पत्र 1698, दिनांक 03-07-2024 के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ।

कार्यकारी संचालक

उप सचिव
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग